

“प्रारंभिक फार्म”

1-0 फर्म का प्रकार : क्या फर्म स्वामित्व है-हाँ अथवा नहीं

यदि स्वामित्व नहीं है तब,

1-1 यदि फर्म प्रा. लिमिटेड/लिमिटेड है तो निम्नलिखित कागजात संलग्न किए जाए :-

- (i) समामेलन का प्रमाण पत्र
- (ii) निदेशकों की सूची
- (iii) मुख्तारनामा अथवा बोर्ड के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प

1-2 यदि फर्म भागीदार फर्म है तो निम्नलिखित कागजात संलग्न किए जाए :-

- (i) नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित साझेदारी विलेख
- (ii) मुख्तारनामा

2-0 निर्माता/प्राधिकृत डीलर/प्रिंट एवं लेखन सामग्री के आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत होना

2-1 यदि फर्म को निर्माता के रूप में पंजीकृत कराना है :

- (i) फर्म का पिछले तीन साल का कुल टर्न ओवर रु. 50 लाख से अधिक होना चाहिए। यद्यपि एनएसआईसी/डीजीएस एंड डी/क्षेत्रीय रेल/रेल उत्पादन इकाई से पंजीकृत फर्म के लिए टर्न ओवर की सीमा लागू नहीं है।
- (ii) वैध आईएसओ प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- (iii) फर्म द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी की सूची जिसमें उनकी निजी वैल्यू दर्शाई गई हो के साथ इस घोषणा का मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संयंत्र एवं मशीनरी, भवन आदि स्वयं का है। (प्रारूप संलग्न)

2-2 यदि फर्म को प्राधिकृत डीलर के रूप में पंजीकृत किया जाना है :

- (i) फर्म का पिछले तीन वर्ष का कुल टर्न ओवर रु. 10 लाख से अधिक होना चाहिए। यद्यपि डीजीएस एवं डी/क्षेत्रीय रेलवे/रेलवे उत्पादन इकाई से पंजीकृत फर्म के लिए टर्न ओवर की सीमा लागू नहीं है।

- (ii) यदि फर्म प्राधिकृत डीलर है तो आईएसओ-9000 प्रमाण पत्र धारक कम से कम दो फर्मों का वैध प्राधिकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। तथापि, यदि फर्म, पब्लिक नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर इस आशय का मूल शपथ-पत्र देती है कि वह यह घोषणा करती है कि वह विशेष रूप से केवल आईएसओ प्रमाणित ओईएम मर्चेंडो की डीलिंग करती है तब इस शर्त में शिथिलता दी जा सकती है और उन्हें केवल एक आईएसओ-9000 प्रमाणित ओईएम का प्राधिकार जमा करना होगा।

2-3 यदि फर्म प्रिंट एवं स्टेशनरी आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत की जानी है :
पिछले तीन वर्ष का कुल टर्न ओवर रु. 5 लाख से अधिक होना चाहिए। यद्यपि डीजीएस एंड डी/क्षेत्रीय रेलवे/रेल उत्पादन इकाई से पंजीकृत फर्म के लिए टर्न ओवर की सीमा लागू नहीं है। इस कोटि के लिए आईएसओ की शर्त भी लागू नहीं है।

3.0 यदि फर्म एनएसआईसी/डीजीएस एंड डी/रेलवे के भंडार नियंत्रक, उत्पादन इकाई से पंजीकृत है तब नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

4-0 उपर्युक्त उल्लिखित कागजात के साथ-साथ निम्नलिखित कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे :

- (i) क्या आपका कार्यालय/गोदाम/फैक्टरी परिसर आपका स्वयं का है।

यदि हाँ तो नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित बिक्री विलेख/नगर पालिका कर रसीद/बिजली कनेक्शन की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

यह नहीं, तो हाल ही की किराया रसीद के साथ किराए के अनुबंध की साक्ष्यांकित प्रति/पट्टा विलेख/पट्टा लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- (ii) हाल ही के टेलीफोन बिल की प्रति (विधिवत जमा किया गया)

- (iii) राज्य बिक्री कर/सीएसटी/वैट/टिन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति।

- (iv) विधिवत लेखा परीक्षित पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता।

- (v) पिछले तीन वर्ष की आयकर विवरणी (सरल) की प्रति।
- (vi) पिछले तीन वर्ष के बिक्रीकर की विवरणी (मूल्यांकन) की प्रति।
- (vii) वैध शॉप स्थापना प्रमाण-पत्र/फैक्ट्री लाइसेंस/व्यापार लाइसेंस की प्रति।
- (vi) वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की प्रति, ई-मेल पता, आईआरईपीएस वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान बनाया गया आईडी कोड।
- (ix) गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित मूल शपथ पत्र की प्रति जिसमें यह घोषणा की गई हो कि रेलवे अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा फर्म की डीलिंग अथवा उसके साझेदार/निदेशक/प्रोप्राइटर को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। (प्रोफार्मा संलग्न)
- (x) रेलवे/अन्य सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रम द्वारा जारी क्रय आदेश की प्रति।
- (xi) यदि फर्म एनएसआईसी से पंजीकृत नहीं है तो प्रक्रिया शुल्क के रूप में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद के पक्ष में रु. 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट ।
- (xii) बैंक के पते सहित बैंक स्टेटमेंट।